NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

RAJIV TIWARI	MURARI LAL GOYAL	VINAY MITTAL	SUNIL SINGHAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9756602389	9897041150	9837300124	9319105336

(REGISTRATION NO. 1635/1974-75)

एनसीआईसी/27/2018–19/ **दिनांक– 9 अक्टूबर 2018**

सेवा में

डॉ0 बुद्धेश मणि जी
अपरायुक्त ग्रेड–I
एसजीएसटी
आगरा।

विषयः– जीएसटी में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के संबध में।

माननीय महोदय,

हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए करदाताओं के समाधान हेतु चैम्बर भवन में एक शिविर के आयोजन के लिये आपने अपनी सहमति प्रदान की इसके लिये हम आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अपने उच्च अधिकारियों के साथ चैम्बर भवन में पधारने पर हम आपका व विभाग से पधारे समस्त अधिकारियों को हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करते हैं।
वर्तमान में जीएसटी में आ रही व्यवहारिक समस्याओं की ओर हम आपका ध्यान निम्न प्रकार आकर्षित करना चाहते हैंः–

1. **जीएसटीआईएन सुविधा केन्द्रः**– विभाग में कम्प्यूटर असिसटेन्ट एवं एक नोडल अधिकारी के साथ पूरे समय सुविधा केन्द्र को संचालित किया जाए। उस नोडल अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए व प्रावधानों की जानकारी भी होनी चाहिए। वह अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने में समक्ष्म होना चाहिए।

2. **आरएफआईडी** :–एसजीएसटी आयुक्त के आदेशानुसार 1 नम्बर 2018 से हर माल ढोने वाले वाहन में आरएफआईडी का होना आवश्यक किया जा रहा है। परन्तु इस विषय पर न तो प्रदेश सरकार ने कोई पब्लिक जागरूकता का प्रयास किया है और न ही यह बताया गया है कि आरएफआईडी को वाहन स्वामी कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकता है। यदि इसमें देरी की गई तो की 1 नवम्बर 2018 से समस्त वाहनों से माल का आवागमन रूक जायेगा। अतः निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस प्रावधान की जानकारी सम्पूर्ण देश के लिए प्रदेश सरकार को देनी चाहिए एवं RFID की तुरन्त उपलब्धता कराई जानी चाहिये जिससे समय रहते हुए वाहन स्वामी अपने वाहन के लिये RFID प्राप्त कर सके।

3. **छोटी–2 तकनीकी त्रुटियों के कारण जुर्माना** :– ई–वे बिल बनाते समय, इनवाईज बनाते समय व्यापार स्थल पर रिकोर्ड रखते समय व्यापारी द्वारा कुछ मामूली तकनीकी त्रुटियां हो जाती है जैसे– 1. क्रेता का जीएसटी आईएन देते समय किसी डिजिट का गलत हो जाना। 2. वाहन सं0 अंकित करते समय किसी डिजिट का आगे पीछे हो जाना। 3. कम्पाउडिंग डीलर द्वारा बाहर बोर्ड पर यह घोषित नहीं किया जाना कि वह समाधान योजना के अन्तर्गत है।

   इसी प्रकार अन्य छोटी छोटी त्रुटियां होने पर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा जमानत राशि व जुर्माना में पैसा जमा कराया जाता है। हमारा निवेदन है कि कानून नया हैं। सभी व्यापारियों को छोटे–छोटे प्रावधानों का ज्ञान नहीं है तथा कुछ भूलें लिपकीय त्रुटियों के कारण हो जाती है एवं उसमें करापवंचना की कोई मंशा नहीं है। अतः निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में जुर्माना अथवा जमानत धनराशि जमा नहीं करानी चाहिए।

4. **क्रेडिट मिमैच पर जांच की कार्यवाही** :– अभी तक सभी व्यापरियों द्वारा अपने जीएसटीआर–1 दाखिल नहीं किये गये हैं जिसके कारण क्रेता व्यापारी के 2ए में उसका क्रेडिट नहीं आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि कुछ कर निर्धारण अधिकारी इस आधार पर जांच का नोटिस दे रहे है कि 3बी में क्लेम आईटीसी व मिलान जीएसटीआर–2 से नहीं हो पा रहा है। निवेदन है कि जब तक विभाग यह सुनिश्चित न कर ले कि सभी जीएसटीआर–1 दाखिल हो चुके है तब तक इस प्रकार की जांच उपयुक्त नहीं है। इससे व्यापारी का श्रम एवं समय व्यर्थ जाता है।

5. कुछ मामलों में अधिकारी द्वारा इस आश्य का नोटिस दिया जा रहा है कि व्यापारी द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक कर का भुगतान आईटीसी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के नोटिस देने से पहले व्यापारी के व्यापार की प्रकृति एवं व्यापार की परिस्थितियों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थोक व्यापार के मामले में व्यापारी द्वारा 98 से 99 प्रतिशत कर का भुगतान आईटीसी द्वारा ही किया जाता है। बहुत से व्यापार जिनमें कर की दर में कमी आई है उनके द्वारा अधिक कर की दर से खरीदे हुए माल का विक्रय कम कर की दर सें किया जा रहा है तथा उनके पास बहुत सी संग्रहित आईटीसी उपलब्ध है। अतः इस प्रकार के नोटिस देने से पहले फाइल पर पूर्ण अध्ययन कर लिया जाना चाहिए तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही नोटिस देकर जांच की जानी चाहिये।
6. **जूरिडिक्शन के संबध में** :– कुछ मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि 3बी एवं जीएसटीआर–1 अथवा क्लेम्ड आईटीसी की जांच के लिए सीजीएसटी विभाग के

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

RAJIV TIWARI PRESIDENT 9756602389 | **MURARI LAL GOYAL** VICE PRESIDENT 9897041150 | **VINAY MITTAL** VICE PRESIDENT 9837300124 | **SUNIL SINGHAL** TREASURER 9319105336

(REGISTRATION NO. 1635/1974-75)

अधिकारी एवं एसजीएसटी विभाग के अधिकारी एक साथ नोटिस भेज रहें है। निवेदन है कि इस प्रकार की जांच का अधिकार सिर्फ उस कर निर्धारण अधिकारी को होना चाहिए जिनके पास व्यापारी का जुरिडिक्शन है। एक ही प्रकार के बिन्दु पर दोनो विभागों को व्यापारी द्वारा एक्सप्लेनेशन प्रेषित करने के आदेश होने से व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न होता है।

7. **मांग का दबाब** :– आज कल आपके विभाग द्वारा डिमान्ड की रिकवरी पर बहुत जोर दिया जा रहा है तथा उसके लिए बहुत सी विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है। कृपया देखें कि बहुत सी पुरानी डिमांड आपकी फाइल व रिर्कोड पूरा न होने के कारण आपके यहां यह डिमांड अंकित है तथा मामला बहुत पुराना होने के कारण व्यापारी ऐसे मामलों का जबाब तुरन्त नही दे पाता है। अतः निवेदन है कि पुरानी डिमांड की बसूली के मामले में उत्पीड़नात्म्क कार्यवाही करने से पहले कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी को बुलाकर पुर्णतः जांच कर लें। तभी किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जाए। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि व्यापारी द्वारा धारा 32 अथवा धारा 31 की कार्यवाही का प्रार्थना पत्र लिया हुआ है। ऐसे आवेदनों के लम्बित होने के दौरान भी कुड़क अमीन द्वारा अभद्र व्यवहार एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

आपसे निवदेन है कि हमारे उपर्युक्त विषयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए जिससे कि व्यापार सुगमतापूर्वक चल सके और विभाग को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

सादर,

भवदीय,

(राजीव तिवारी)
अध्यक्ष

(अमर मित्तल)
चेयरमैन– जीएसटी प्रकोष्ठ

(आलोक फरसैया)
चेयरमैन– जीएसटी तकनीकी जागरूकता प्रकोष्ठ